कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 1105/41/आउशि/अनु.ब./18 भोपाल, दिनांक 29/05/2018

प्रति,

1. **प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित**
   शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
   म0प्र0 (कॉलम 04 के अनुसार)

2. **प्राचार्य,**
   अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
   म0प्र0 (कॉलम 02 के अनुसार)

विषयः– अनुदान प्राप्त महाविद्यालय को वेतन भत्तों के लिए राशि आवंटन–वित्तीय वर्ष 2018–19

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक 404/41/अनु–ब/18 दिनांक 01.03.18

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुपालन में निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में मांग–पत्र अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रथम त्रैमास के वेतन–भत्तों हेतु आवंटन राशि स्वीकृत की जाती है :–

क्र	महाविद्यालय का नाम	पत्र कमांक व दिनांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं कोड	मांग की गई राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	जानकी रमन महावि. जबलपुर	71/09.05.18	शा0 महाकौशल कला /वाणिज्य महावि. जबलपुर 1803802002	2799397	699849
	योग				**699849**
2	जैन महावि. भिण्ड	795/23.04.18	शा0 एम.जे.एस. महावि0 भिण्ड 0403802001	4043233	1010808
	योग				**1010808**
	सकल योग				**1710657**

(सत्रह लाख, दस हजार, छह सौ सत्तावन मात्र)

1. शैक्षणिक अधिकारियों को शत–प्रतिशत अनुदान भुगतान एंव महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा–पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधिनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।
2. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन–भत्तों के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। समय–समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. स्थानीय निधि संपरीक्षा म0प्र0 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक का आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। पूर्व वर्षो में आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित कराया जाना होगा।
4. अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही शत–प्रतिशत शिक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा करायी जानी होगी।
5. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।
6. **आवंटित राशि का व्यय बजट शीर्ष 44–2202–03–104–3444–0101–42–002 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत विकलनीय होगा।**
7. **राशि उपलब्ध होने पर संबंधित आहरण एंव संवितरण अधिकारी को आवंटित की जावेगी।**
8. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य/संस्था की होगी।

9. गत वर्ष 2017–18 में जारी की गई आवंटन राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा अधिकारी संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान/अग्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

10. *दिनांक 01.04.2000 के पश्चात नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को वेतन का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।*

आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।

(डॉ0 सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ.क. 1106/41/अनु.ब./आउशि/18 भोपाल, दिनांक 29/05/2018

प्रतिलिपि:–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक (वित्त), बजट शाखा, उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।
7. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. वि.क.अ. (आई.टी. सेल), उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।

(डॉ0 सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश